भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 264

दिनांक 15.09.2020/24 भाद्रपद,1942 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों के गैर-कानूनी दुर्व्यापार को रोकने हेतु सहायता

†264. श्री कुरूवा गोरांतला माधव:

श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः

श्री तालारी रंगैय्याः

श्री एम. वी. वी. सत्यनारायणः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों में गैर-कानूनी दुर्व्यापार को रोकने में राज्यों को अपनी प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिये लाभ लेने हेतु "राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता" नामक योजना के संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित एवं जारी की गई?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। गृह मंत्रालय ने दिनांक 05 जनवरी, 2018 के पत्र संख्या I-12020/52/ 2017-एनसीबी-I के माध्यम से "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" संबंधी योजना के बारे में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस योजना के तहत, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी का मुकाबला करने हेतु उनकी प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने और कार्मिकों के प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता (i) निगरानी उपकरणों; (ii) प्रयोगशाला उपकरणों; (iii) गश्त/निगरानी के लिए वाहनों; (iv) कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों; (v) फैक्स मशीन और फोटोकॉपियर तथा (vi) प्रशिक्षण और प्रवर्तन के लिए उपयोगी अन्य उपकरणों की खरीद के लिए प्रदान की जाती है।

(ग): वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य को कुल 1,10,94,111/- रुपये की राशि जारी की गई है।

*****